प्रकरण संख्या 30/2019 श्रीमती मोहनी बनाम श्रीमती बदामी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालेसरीया में खाता संख्या 144/147 की आराजी नंबर 420, 425, 442, 461, 597, 728 कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादिया का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं। इसी प्रकार ग्राम खाखरडा में खाता संख्या 126/112 की आराजी नंबर 611, 614, 615, 616, 617 कुल किता 5 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि है, जिसमें भी वादिया का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज हैं। ग्राम खाखरडा में खाता संख्या 125/111 की आराजी चाह नंबर 610 रकबा 3 बिस्वा स्थित है जो माफिक हिस्से अनुसार रेकार्ड में अंकित है उसे बदस्तूर रखते हुए पक्षकार के मध्य उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 18.06.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30.07.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री अजयसिंह हाडा उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी है एवं उसे बिना सुने तथा बिना उसकी तामील कराये निर्णय पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 20.07.2019 को पटवारी हल्का से हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी हे। तााईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त आवेदन पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखे जाने की किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दिया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः न्यायहित में मियाद कमहोन कर जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.02.23 12:45:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 30/2019 श्रीमती मोहनी बनाम श्रीमती बदामी व अन्य

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व कैम्प की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी तथा उसकी बिना तामिल कराये एवं बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 12.02.2018 की आदेशिका अनुसार प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु दिनांक 05.04.2018 के लिए नियत था। दिनांक 05.04.2018 को पीठासीन अधिकारी राजकीय अवकाश/अन्य कार्यो में व्यस्त होने से दिनांक 16.05.18 की पेशी नियत की गयी। किन्तु दिनांक 05.04.2018 को ही एक अन्य आदेशिका अनुसार प्रकरण दिनांक 18.06.2018 के लिए राजस्व कैम्प कालेसरिया में रखा गया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दी गयी हो उक्त आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। दिनांक 18.06.2018 को अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प में प्रतिवादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित करते हुए वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 04.03.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(एम. एल. चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.02.23 12:45:37 IST
Reason: SelfAttested